"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 जून 2005—ज्येष्ठ 19, शक 1927

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-39/2005/20.—माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ विनियम, 1965 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) की धारा 28 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा साधारण खण्ड अधिनियम 1957 (क्र. 3 सन् 1956) की धारा 24 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से दस दिन का अवसान होने पर विचार कियां जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर के कक्ष क्रमांक-269 को कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त विनियम में,

1. विनियम 119, के उप विनियम (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

(2) विनियम 119 (1) के अधीन अंकों के सत्यापन (पुनर्गणना) के परिणाम के पश्चात् यदि अभ्यर्थी अपने उत्तर पुस्तिका/पुस्तिकाओं के पुनर्गणना के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका/उत्तर पुस्तिकाओं के व्यक्तिगत अवलोकन करने के लिए मण्डल को निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित फीस के साथ आवेदन करेगा. निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित की गई फीस के साथ निर्धारित किये गये प्रारूप में आवेदन पत्र की छायाप्रति प्राप्त होने पर मण्डल द्वारा छात्र की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेज दी जावेगी. उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के पश्चात् यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा समझता है कि उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, वह मण्डल द्वारा उसे उत्तर पुस्तिका भेजे जाने के 15 दिवस के भीतर मंडल द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी फीस के साथ जो मण्डल द्वारा निर्धारित की जाय, उत्तर पुस्तिका को पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन कर सकेगा. पुनर्मूल्यांकन आवेदन निर्धारित समय सीमा में निर्धारित की गई फीस के साथ प्राप्त होने पर मण्डल का सचिव मण्डल द्वारा इस संबंध में निर्धारित की गई प्रक्रिया से पुनर्मूल्यांकन करवाएगा. ऊपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी परीक्षार्थी, अपने उत्तर/उत्तरों की पुन: जांच करवाने के लिये या उत्तर पुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों, जिन्हें मण्डल द्वारा अतिगोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा.

(3) यदि इस विनियम के अधीन किये गये सत्यापन अथवा पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ये पता चलता है कि या तो किसी उत्तर या किन्हीं उत्तरों की जांच नहीं की गई है और उन्हें उस पर/उन पर अंक नहीं दिये गये हैं और/या अंकों का योग करते समय भूल हो गई हो या पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अंकों में फेरबदल होता है तो सत्यापन के लिये दी गई फीस छात्र को वापिस कर दी जायेगी, यदि भूल का पता चलता है तो वह सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित तथा दिनांकित कर ठीक कर दी जायेगी तथा इस सुधार के परिणामस्वरूप, छात्र के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसके सही परीक्षाफल की सूचना तार द्वारा दी जायेगी.

2. विनियम 148 के उप विनियम (2) तथा 3 के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(2) विनियम 148 (1) के अधीन परीक्षा परिणामों की घोषणा से 15 दिन के भीतर कोई भी अभ्यर्थी अपनी किसी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के लिये मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी फीस के साथ आवेदन कर सकेगा, जो मण्डल द्वारा निर्धारित की जाय. निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित की गई फीस के साथ निर्धारित किये गये प्रारूप में आवेदन पत्र की छायाप्रति प्राप्त होने पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेज दी जावेगी. उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के पश्चात् यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा समझता है कि उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, वह मंडल द्वारा उसे उत्तर पुस्तिका भेजे जाने के 15 दिवस के भीतर मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी फीस के साथ जो मण्डल द्वारा निर्धारित की जाय, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन कर सकेगा. पुनर्मूल्यांकन आवेदन निर्धारित समय सीमा पन्द्रह दिनों के भीतर निर्धारित की गई फीस के साथ प्राप्त होने पर मण्डल का सचिव मंडल द्वारा इस संबंध में विहित की गई प्रक्रिया से पुनर्मूल्यांकन करवाएगा. ऊपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी परीक्षार्थी अपने उत्तर/उत्तरों की पुन: जांच करवाने के लिये या उत्तर पुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों, जिन्हें मण्डल द्वारा अतिगोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा.

(3) यदि इस विनियम के अधीन किये गये सत्यापन अथवा पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ये पता चलता है कि या तो किसी उत्तर या किन्हीं उत्तरों की जांच नहीं की गई है और उन्हें उस पर/उन पर अंक नहीं दिये गये हैं और/या अंकों का योग करते समय भूल हो गई हो या पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अंकों में फेरबदल होता है तो सत्यापन के लिये दी गई फीस अभ्यर्थी (परीक्षार्थी) को वापस कर दी जायेगी. यदि भूल का पता चलता है तो वह सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित तथा दिनांकित कर ठीक कर दी जायेगी तथा इस सुधार के परिणामस्वरूप, अभ्यर्थी (परीक्षार्थी) के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसे उसके सही परीक्षाफल की सूचना तार द्वारा दी जायेगी.

Raipur, the 9th June 2005

NOTIFICATION

No. F 4-39/2005/20.—The following draft of amendments in Board of Secondary Education Chhattisgarh Regulation, 1965. Which state government propose to make in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 28 of Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965) in hereby Published as required by section 24

of the Chhattisgarh General Clauses Act 1957 (No. 3 of 1956) for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken in to consideration after expiry 10 days (Ten days) from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestions which may be received by the Secretary Government of Chhattisgarh. School Education Department, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya Raipur, Room No. 269 from any person which in respect to the said draft before expiry of the aforesaid specified period during office hours shall be considered by the State Government.

DRAFT AMENDMENT

In the said Regulation,

1. For sub-regulation (2) and (3) of regulation 119, following sub-regulation shall be substituted, namely :—

(2) After the result of verification of marks (retotalling) under regulation 119 (1) if the candidate understand that he is not satisfied from the result of retotalling of his Answer copy/copies then the candidate may apply to the Board for personal observation of the Answer copy/copies of the subject/subjects on prescribed form and fee as laid down by the Board within 15 day of time period. On receipt of application by the board on prescribed form alongwith prescribed fees within stipulated time period Board will, send or dispetch the photocopy/copies of required Answer copy/copies of the subject/subjects by registered post. After personal observation of the Answer copy/copies if the Examinee understands that the valuation of his Answer copy/copies of the subject/subjects in not done properly upto correct level, then the examinee may apply to the board for revaluation of answer copy/copies of the subject/ subjects on prescribed form with prescribed fee within 15 days from the receipt the answer copy/copies of personal observation. On receipt of prescribed application form for revaluation with prescribed fee within 15 days of time period by the board, the Secretary of the Board will get the revaluation of answer copy/ copies of the subject/subjects within the frame work of revaluation process laid down by the Board time to time. Apart from, conditions explained above, no examinee shall claim or be entitled to re-examination of answer/answers or disclosure or inspection of answer copy/copies or other documents treated by the Board as most confidential.

(3) If, as a result of the verification of marks or revaluation made under this regulation, it is found that, there has been either an omission to examine and to assign marks to any answer or answers or a mistake in the totalling of marks or any change of marks after revaluation, the fee for verification shall be refunded to the candidate (examinee). If a mistake is discovered, it shall be corrected by the secretary, of the Board dully attested and dated thereon, and if as a result of this correction, the candidate's (examinee's) result as already declared, is altered in any way he shall be informed of his correct result by a telegram.

2. For sub-regulation (2) and (3) of regulation 148, following sub-regulation shall be substituted, namely :—

(2) After the result of verification of marks (retotalling) under regulation 148 (1) if the candidate understand that he is not satisfied from the result of retotalling of his Answer copy/copies then the candidate may apply to the Board for personal observation of the Answer copy/copies of the subject/subjects on prescribed form and fee as laid down by the Board within 15 day of time period. On receipt of application by the board on prescribed form alongwith prescribed fees within stipulated time period Board will, send or dispetch the photocopy/copies of required Answer copy/copies of the subject/subjects by registered post. After personal observation of the Answer copy/copies if the Examinee understands that the valuation of his Answer copy/copies of the subject/subjects is not done properly upto correct level, then the examinee may appy to the board for revaluation of answer copy/copies of the subject/subjects on prescribed form with prescribed fee within 15 days from the receipt the answer copy/copies of personal observation. On receipt of prescribed application form for revaluation with prescribed fee within 15 days of time period by the board, the Secretary of the Board will get the revaluation of answer copy/copyies of the subject/subjects within the frame work revaluation process laid down by the Board time to time. Apart from, conditions explained above, no examinee shall claim or be entitled to re-examination of answer/answers or disclosure or inspection of answer copy/copies or other documents treated by the Board as most confidential.

(3) If, as a result of the verification of marks or revaluation made under this regulation, it is found that, there has been either an omission to examine and to assign marks to any answer or answers or a mistake in the totalling of marks or any change of marks after revaluation, the fee for verification shall be refunded to the candidate (examinee). If a mistake is discovered, it shall be corrected by the secretary, of the Board dully attested and dated thereon, and if as a result of this correction, the candidate's (examinee's) result as already declared, is altered in any way he shall be informed of his correct result by a telegram.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2005—ज्येष्ठ 20, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 10 जून, 2005 (ज्येष्ठ 20, 1927)

अधिसूचना

क्रमांक -6703/विधान/2005.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 10 जून, 2005 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं लेफ्टि. जन. (से. नि.) के. एम. सेठ, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 11 जुलाई, 2005 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से विधान सभा भवन, रायपुर में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूं.

स्थान : रायपुर
दिनांक : 10 जून, 2005

लेफ्टि. जनरल के. एम. सेठ
पी वी एस एम, ए वी एस एम (सेवानिवृत्त)
राज्यपाल, छत्तीसगढ़".

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.